(31)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2189–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–6–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 173/अपील/2011–12.

1. भोलाराम तिवारी मृत वारिस–
(1) श्रीमती धर्मवती बेवा स्व0 भोलाराम तिवारी
(2) अश्वनी कुमार तिवारी पुत्र स्व0 भोलाराम तिवारी
(3) श्याम धर तिवारी पुत्र स्व0 भोलाराम तिवारी
(4) कुसुम पुत्री स्व0 भोलाराम तिवारी पत्नी नारेन्द्र प्रसाद मिश्रा
(5) आयशा पुत्री स्व0 भोलाराम तिवारी पत्नी अशो कुमार
2. रामरखवारे तिवारी तनय स्व0 चन्द्रभानराम तिवारी
दोनों निवासी ग्राम मिसिरगंवा एवं कोठार
तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

रामसुशील तिवारी तनय स्व0 चन्द्रभान राम तिवारी
निवासी ग्राम मिसिरगंवा एवं कोठार तहसील
गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0

——— अनावेदक

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक आवेदकगण
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 03/08/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 5–6–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण एवं अनावेदक की पैतृक स्वत्व की भूमि है जिसें दोनों पक्ष सहखातेदार के रूप में अभिलेख में दर्ज थे। अनावेदक ने उभय पक्ष के मध्य दिनांक 21–6–89 को हुये आपसी बटवारे के आधार पर तहसील न्यायालय में बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलार गोपदबनास ने प्रकरण कमांक 54/अ–27/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 30–5–2011 को बटवारा आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक भोलाराम तिवारी द्वारा अनुविभागीय अधिाकरी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास ने प्रकरण कमांक 206/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 22–11–2011 के द्वारा अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 5–6–12 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है उभय के पिता के समय दिनांक 21–6–89 को हुये आपसी बटवारे के आधार पर अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय में बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसपर गवाहों एवं ग्राम पंचायत के सरपंच की मौजूदगी में सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये गये थे। बटवारा अनुसार दोनों पक्ष अपनी–अपनी भूमियों पर काबिज रहे। राजस्व अभिलेखों में संयुक्त रूप से दोनों पक्षों के नाम दर्ज रह जाने के कारण जब बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था तब विचारण न्यायालय ने हिस्सा एवं कब्जे के अनुसार फर्द–बटवारा पुल्ली मंगाने के पश्चात एवं उस प्राप्त आपत्ति का निराकरण करते हुये आदेश दिनांक 30–5–2011 द्वारा बटवारे का आदेश पारित किया है। तहसीलदार के विधिसम्मत आदेश को अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है। जहां तक

अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी ने पुनः उभय पक्ष को उपस्थित होकर पक्ष समर्थन का अवसर देकर आपत्ति पर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जबकि तहसीलदार द्वारा विधिवत आपत्ति का निराकरण कर बटवारा आदेश पारित किया है। इसी कारण अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय को उचित माना है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

4/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 5–6–2012 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर